# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-305RAAJodhpur2023-155RTA225 Heersingh Vs Ramchandra etc

हीरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, जाति राजपूत, निवासी-
ग्राम जाटियावास, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम पुत्र श्री तिलाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम जाटियावास, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत पिथावास, जरिये सरपंच।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022 रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम बनाम हीरसिंह इत्यादि**

-------

उपस्थित-
श्री मनोहरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री शंकरसिंह जाखड़, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 03

## नि र्ण य

**दिनांक : 30 अक्टूबर 2024**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022 रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम बनाम हीरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 122 रकबा 59.15 बीघा ग्राम जाटियावास में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 121/1 की पूर्वी व दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे सलंग्न नक्शा अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अदालत हाजा द्वारा अपील स्तर पर उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका फर्द तलब की गई। मौका फर्द प्राप्त होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 122 से कटाण रास्ते तक आने-जाने हेतु खसरा नं. 121/1 में से कोई कदीमी रास्ता आज दिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तक नहीं रहा, न ही वर्तमान में है। इस कारण आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 122 में और भी सहखातेदारान् है, जिनको प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। वास्तविकता में मौके पर प्रत्यर्थी संख्या एक व खसरा नं. 122 के अन्य सहखातेदारान् के पास नजदीक व सुलभ वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। केवल अपीलांट को तंग व परेशान करने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 251-ए के तहत यदि किसी खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं होने पर ही नया रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या एक के पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को भेजे गये रजिस्टर्ड सम्मन बिना तामील पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त हुए जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा अपने खेत की जमाबंदी की नकल लेने पर अपीलाधीन रास्ते का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज पाये जाने पर आलौच्य आदेश की नकल हेतु दिनांक 18.08.2023 को आवेदन किया, जो नकले तैयार होकर दिनांक 21.08.2023 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है जो अदालत हाजा द्वारा तलब मौका फर्द से स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा हाल ही में दीवार निकाल कर अपीलाधीन रास्ते को बंद किया है जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अपील में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। नवीन मौका फर्द में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन रास्ते को बंद कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधर पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित निर्णय, नजीरों में मामले को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर किये जाने के निर्देश जारी किये है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 21.11.2022 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 121/1 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है तथा मौके पर अन्य कोई लघुतम रास्ता नहीं होना बताया है।

अदालत हाजा द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब मौका फर्द दिनांक 13.08.2024 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्तें के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं बताया गया है। उक्त मौका फर्द अपीलांट की उपस्थित में तैयार की गई है। मौका फर्द में उल्लेख है कि अपीलांट द्वारा हाल ही में 3-4 माह में दीवार का निर्माण कर रास्ते का अवरूद्ध किया है। चूंकि अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पो. के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है। अपीलांट द्वारा रास्ता घोषित होने के पश्चात उस रास्ते को बंद कर रेस्पोडेंट के आवागमन को अवरूद्ध करना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित नहीं है। इन परिस्थितियों में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन में अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022 रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम बनाम हीरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर